

प्रेषक-

अशोक कुमार-XI,
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी एक्ट)
गोरखपुर।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

विषय- चल एवं अचल संपत्ति विवरण भेजने में हुए विलंब के स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

प्रार्थी ने दिनांक- 23/12/2003 को जनपद न्यायालय बांदा में बतौर अपर सिविल जज (जू०डि०) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। प्रार्थी ने शादी में पत्नी श्रीमति रीमा वर्मा उर्फ रीमा सिंह को मिली मटीज कार सं०- UP 30D 0799 को अपने पक्ष में ट्रांसफर कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय को पत्र प्रेषित किया था।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि पहले आप अपना संपत्ति विवरण भेजें। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा संपत्ति विवरण माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मेरी पत्नी श्रीमति रीमा वर्मा उर्फ रीमा सिंह के नाम से मटीज कार संख्या- UP-30D-0799 मेरे नाम पर ट्रांसफर हुई।

जनपद न्यायालय चन्दौली में कार्यरत रहते हुए दिनांक 19/07/2009 को हुई आगजनी में न्यायालय की काफी पत्रावलियां जल गईं। साथ ही साथ विश्राम कक्ष में रखे हुए कुछ प्रपत्र व कोट आदि भी चल गए।

प्रार्थी द्वारा सन् 2010 में पुनः संपत्ति विवरण माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया था।

जनपद चन्दौली में कार्यरत रहते हुए प्रार्थी की पत्नी श्रीमति रीमा वर्मा उर्फ रीमा सिंह की तबियत सन् 2012 के आरंभ से खराब रहने लगी। जनपद न्यायालय मैनपुरी में कार्यरत रहते हुए प्रार्थी की पत्नी की तबियत सन् 2012 के नवम्बर-दिसम्बर माह में अत्यधिक खराब हो गई। जांच कराने पर जनवरी 2013 में प्रार्थी की पत्नी को कैंसर होने की पुष्टि हुई। प्रार्थी की पत्नी का ईलाज टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुंबई में लगभग 4 महीने चला।

प्रार्थी की पत्नी का कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद प्रार्थी की पत्नी कुछ दिन ठीक रही। तत्पश्चात् वर्ष 2013 के अंत में पुनः प्रार्थी की पत्नी की तबियत खराब होने लगी। प्रार्थी की पत्नी की पुनः जांच कराने पर प्रार्थी की पत्नी के सिर में ब्रेन ट्यूमर होने की पुष्टि हुई। डॉक्टरों द्वारा कहा गया कि प्रार्थी की पत्नी की जिंदगी थोड़े दिन की है ले जाइये। घर पर उनकी देखभाल करिए।। जब तक ये जिंदा हैं तब तक जिंदा हैं उनकी जिंदगी की अब कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थी की पत्नी फरवरी सन् 2014 से बिस्तर पर पड़ी तो दोबारा वह बिस्तर से नहीं उठ सकी। अंतोगत्वा जिंदगी और मौत से लड़ते हुए 8 जुलाई 2014 को प्रार्थी की पत्नी का देहांत हो गया।

प्रार्थी की पत्नी का देहांत होने के समय प्रार्थी के दोनों बच्चों की उम्र लगभग 7.5 वर्ष एवं 9 वर्ष रही। प्रार्थी के बच्चे छोटे होने पर बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी प्रार्थी पर होने के कारण प्रार्थी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण समय से माननीय उच्च न्यायालय नहीं भेज सका। जिसके लिए प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है।

सादर,

दिनांक-03/07/2023

(अशोक कुमार-XI)
विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी एक्ट),
गोरखपुर।